

100


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 340] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1973/आश्विन 7, 1895
No. 340] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1973/ASVINA 7, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में दी जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September 1973

S.O. 529(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Hundredth Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(A) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)" and under sub-heading "C. DEPARTMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT (SAMUDAYIK VIKAS VIBHAG)", after entry 5, the following entries shall be inserted, namely:—

"6. Tribal Areas Development Programme.

7. Drought Prone Areas Programme.";

(B) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)",

(1) for entry 12, the following entry shall be substituted, namely:—

"12. Appointment of Lieutenant-Governors, Chief Commissioners and Administrative Officers in Union Territories.";

- (ii) for entry 28, the following entry shall be substituted, namely:—
 “28. Matters relating to the Rulers of former Indian States referred to in clause (22) of article 366 of the Constitution and their families.”;
- (C) under the heading “MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)” and under sub-heading “C. DEPARTMENT OF JUSTICE (NYAYA VIBHAG)” after entry 2, the following entry shall be inserted, namely:—
 “2A. Appointment of judicial Commissioners and judicial Officers in Union Territories.”;
- (D) under the heading “CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)” and under sub-heading “B. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASANIK SUDHAR VIBHAG)”, for entries 2, 5, 6, 21 and 22, the following entries shall respectively be substituted, namely:—
 “2. General questions relating to recruitment, promotion and seniority pertaining to Central Services except Railway Services and Services under the control of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antareeksh Vibhag).
 5. Recruitment of ministerial staff for the Government of India Secretariat and its Attached Offices except that for the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antareeksh Vibhag).
 6. Appointment of non-Indians to Civil posts under the Government of India except posts under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antareeksh Vibhag).
 21. General questions (other than those which have a financial bearing) including conduct Rules relating to All India and Union Public Services except in regard to services under the control of the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antareeksh Vibhag).
 22. Conditions of service of Central Government employees [excluding those under the control of the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antareeksh Vibhag)] other than those having a financial bearing and in so far as they raise points of general service interests.”.

V. V. GIRI,
 President.

[No. 74/2/1/73-CF]

J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रि मंडल सचिवालय

(सचि मंडल-कार्य विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1973

एस० नो० 529 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (सौदा संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, —

(क) “कृषि मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत और “ग. सामुदायिक विकास विभाग” उपशीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टि 5 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“6. जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।

7. सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम ।” ;

(ख) “गृह मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत,

(i) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“12—संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपालों, मुख्य आयुक्तों और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति

(ii) प्रविष्टि 28 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“28 संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (22) में निर्दिष्ट भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों और उन के कुटुम्बों से संबंधित मामले ।” ;

(ग) “विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत और “ग. न्यायविभाग” उपशीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“2क संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति ।” ;

(घ) “मंत्रिमंडल सचिवालय” शीर्षक के अन्तर्गत और “ख. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग” उपशीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टियों 2, 5, 6, 21 और 22 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“2. रेल सेवाओं, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रणाधीन सेवाओं के सिवाय, केन्द्रीय सेवाओं में से संबद्ध भर्ती और ज्येष्ठता विषयक साधारण प्रश्न ।

5. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के सिवाय भारत सरकार सचिवालय और उस के संलग्न कार्यालयों के लिए अनुसचिबीय कर्म-चारिवन्द की भर्ती ।

6. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के अधीन पदों के सिवाय भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर विदेशियों की नियुक्ति ।

21. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रणाधीन सेवाओं से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर, अखिल भारतीय सेवा, और संघ लोक सेवा आयोग से संबद्ध आचरण नियम संहिता (विल से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर) साधारण प्रश्न ।

22. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की (जिसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी नहीं आते हैं जो रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रणाधीन हों) सेवा की शर्तें, जो वित्त से संबन्धित न हों और जहां तक उन से सेवा की साधारण हितों की बातें उत्पन्न होती हों।

बी० बी० गिरि,

राष्ट्रपति ।

[सं० 74/2/1/73-सी०एफ०]

जगजीत सिंह मोंगिया, संयुक्त सचिव ।